

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक 243/2016

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र. 2386/16 (एस) SI. अनुमा.
शर्मा - N.Y. स्थापना/प्र. 2/1/17 विरुद्ध

—00—

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक
दिनांक में अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य का प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर
संकेत करमा चाहें।

आयुक्त / सचिव महोदय

बी.के. चौरसिया
दिक 2

निधि विभाग

Gpur.
Jabalpur

पृष्ठ क्र... ३

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक... २५३/शा.।इ.आ.७/२०१६

विषय :- कम्पायनार्थीन प्रकरण क्रमांक WP 2386/2016 डॉ. अनुभा समी
सहायक प्राध्यापक - रसायनशास्त्र, शा. कन्या महाविद्यालय,
सागर विन्ध्य शासन ।
— " —

पूर्वपृष्ठसे :- कृपया पूर्व पृष्ठ क्रमांक ०१ पर आयुक्त मंडल की रीति
दिनांक १७.२.२०१६ अनुसार विजयोचित प्रकरण में संशोधित प्रकरण
प्राप्ति अधिकारी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, सागर संभाग,
सागर के ०१८ आदेश की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरपूर्व प्रस्तुत ।

रूपार्थ, ०१८ नियुक्ति हेतु

स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरित करना पाली ।

22/02/16

रा.कु.सि.पि.ग

03/03/16

03/03/16

03/03/16

नाफ 496-97
9/3/16

03/03/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. २५३/शा. १०५-५/१६

विषय :- ~~आचार्य~~ पुकरण प्रमाण WP २३८६/२०१६ डॉ. अनुभा शर्मा
सहायक प्राध्यापक - रसायनशास्त्र शास्त्रीय कनका मण्डवि.
सागर विश्व शासन।

पुकरण में क्षणीय आति (नंप) १५, २-११११ (नंभा)
को ओ.आई.सी. बनाया जा चुका है। रूपरा नमनी
प्रतिफल हेतु विधि विभाग को अंकित करना चाहिए।

OSP

File
10/3

10/3/16

सहायक

प्रतिफल हेतु नमनी विधि -

विभाग को अंकित करना चाहिए।

श

10/03/16

आयुक्त/सचिव

विधि - विभाग

11/3



उमाकान्त समराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

14/3/16

7691
C.P.

10
11.2.16

①

③

कार्यालय-क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर- संभाग, जबलपुर

क्रमांक: 223 / विधि प्रकोष्ठ / 16,
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी, 2016

✓ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-न्यायालयीन प्रकोष्ठ,
कार्यालय आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन, तीसरी मंजिल,
भोपाल ।

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-2386/2016 डॉ० अनुभा शर्मा, सहायक प्राध्यापक- रसायनशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन ।

विषयान्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा दाखिल किया जाना है ।

प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रकरण क्रमांक : WP-2386/2016
2. याचिकाकर्ता का नाम : डॉ० अनुभा शर्मा, सहायक प्राध्यापक- रसायनशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर
3. प्रकरण का विषय : आपाती सेवा जोड़ने बावत् ।
4. प्रकरण का संबंध : शासकीय महाविद्यालय,
5. संभाग : सागर संभाग
6. प्रस्तावित प्रकरण प्रभारी : प्राचार्य, शासकीय पी.जी. कन्या महाविद्यालय, सागर ।

कृपया शीघ्र प्रकरण प्रभारी आदेश जारी कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- याचिका की प्रति ।

माधुरा
22
08/02/16

अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, जबलपुर-संभाग
जबलपुर

(iii) Passed by

Nil.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESHPRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.Writ Petition No. **2386** /2016PETITIONER

Dr. Anubha Sharma, W/o Shri
Santosh Kumar Sharma, aged
about 56 years, Assistant
Professor (Chemistry),
Government Girls College
Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

VERSUSRESPONDENTS

1. State of Madhya Pradesh,
through Secretary to the
Government of Madhya
Pradesh, Department of
Higher Education, Vallabh
Bhawan Mantralaya, Bhopal
(M.P.).
2. Commissioner of Higher
Education Government of
Madhya Pradesh, Satpuda
Bhawan, Bhopal (M.P.).
3. The Principal, Government
Girls College Sagar, Distt.
Sagar (M.P.).

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

1. Particulars of the Cause/order against which the petition is made:
 - (i) Date of Order : Nil.
 - (ii) Passed in Order No. : Nil.
 - (iii) Passed by : Nil.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 446/243/उच्च शिक्षा/आ.प्र.शा/2016 कोषाल दिनांक 9/3/16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्याईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त से न्यायक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग,

सागर (म.प्र.) को याचिका क्रमांक WP.2386/2016

(पक्षकारों के नाम) डॉ. अनुभा शर्मा सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र शासकीय

विद्यालय, महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन।

के मध्य प्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2/ समस्त सुरगत फाइलें, दस्तावेज, निम्न अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासक ग अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।

7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उत्तरकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिकारता की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पदकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रतः गोप्य आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठ 497/248/उशिवि/मंत्रालय/न्याय/शा. 2016 भोपाल, दिनांक 9/3/16

प्रतिलिपि:-

- 1/ महाविद्यालय, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जयपुर/इन्दौर/गैलियस भवन न.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधार्थी कार्य विभाग विद्यालय भवन भोपाल
- 3/ संबंधित जिलाध्यक्ष सागर। मध्यप्रदेश।
- 4/ अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर सेनाग सागर (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अर्पित। साथ ही शासकीय अधिकारता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिकारता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागले में अपनी प्रगत रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जयपुर सेनाग जयपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल